1. भारत सरकार ने गठित किया 'सहकारिता मंत्रालय'

- 06 जुलाई, 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने कैबिनेट फेरबदल से पहले एक नया सहकारिता मंत्रालय (Ministry of Cooperation) बनाने की घोषणा की है। यह मंत्रालय भारत में सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के लिए एक अलग प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा प्रदान करेगा। यह मंत्रालय 'सहकार से समृद्धि' के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए बनाया गया है। मोदी के नए मंत्रिमंडल में गृहमंत्री अमित शाह को सहकारिता मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।
- यह मंत्रालय सहकारिताओं (cooperatives) के लिए व्यापार करने में आसानी के लिए प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और बहु-राज्य सहकारी समितियों के विकास को सक्षम बनाने के लिए काम करेगा। इस मंत्रालय के बनने से अब केंद्र सरकार के कुल 41 मंत्रालय हो जाएंगे।

पृष्ठभूमि

- सहकारिता के लिए अलग प्रशासनिक ढांचा स्थापित करने का प्रस्ताव सबसे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2021 में केंद्रीय बजट भाषण देते हुए रखा था। सहकार भारती (Sahakar Bharati) की ओर से भी राष्ट्रीय स्तर पर सहकारी क्षेत्र के लिए अलग मंत्रालय की मांग की गई थी।

मोदी सरकार के तहत दूसरा मंत्रालय 2.0

- मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के लिए सत्ता में आने के बाद 2019 के बाद से सहकारिता मंत्रालय बनाया जाने वाला दूसरा मंत्रालय है। 2019 में कार्यभार संभालने के बाद सरकार ने जल शक्ति मंत्रालय बनाया था। हालांकि, यह नए सहकारिता मंत्रालय से बिल्कुल अलग है। जल शक्ति मंत्रालय दो मौजूदा मंत्रालयों, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प, और पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय को एकीकृत करके बनाया गया था। यह एकीकरण पीएम् मोदी के 'न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन' (minimum government, maximum governance) के मंत्र के अनुरूप किया गया था।

सहकारिता से संबंधित संवैधानिक प्रावधान

- संविधान (97वाँ संशोधन) अधिनियम, 2011 ने भारत में काम कर रही सहकारी समितियों के संबंध में भाग IXA (नगरपालिका) के ठीक बाद एक नया भाग IXB जोड़ा। संविधान के भाग-III के अंतर्गत अनुच्छेद 19(1)(c) में "यूनियन (Union) और एसोसिएशन (Association)" के बाद "सहकारिता" (Cooperative) शब्द जोड़ा गया था। यह सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार का दर्जा देकर सहकारी समितियाँ बनाने में सक्षम बनाता है।
- राज्य के नीति निदेशक तत्त्वों (Directive Principles of State Policy-भाग IV) में "सहकारी समितियों के प्रचार" के संबंध में एक नया अनुच्छेद 43B जोड़ा गया था।

भारत में सहकारी आंदोलन

- सहकारिता की शुरुआत सबसे पहले यूरोप में हुई थी और ब्रिटिश सरकार में विशेष रूप से साहूकारों के उत्पीड़न से भारत में गरीब किसानों के दुखों को कम करने के उद्देश्य से इसे अपनाया गया। सहकारी समिति शब्द तब अस्तित्व में आया जब पुणे और अहमदनगर (महाराष्ट्र) के किसानों ने साहूकारों के खिलाफ एक आंदोलन चलाया, जो किसानों से अत्यधिक ब्याज दर वसूल रहे थे।
- ब्रिटिश सरकार ने आगे चलकर तीन अधिनियम- दक्कन कृषि राहत अधिनियम (1879), भूमि सुधार ऋण अधिनियम (1883) और कृषक ऋण अधिनियम (1884) पारित किये। वर्ष 1903 में बंगाल सरकार के सहयोग से बैंकिंग में पहली क्रेडिट सहकारी समिति का गठन किया गया था।
- इसे ब्रिटिश सरकार के फ्रेंडली सोसाइटीज़ एक्ट (Friendly Societies Act) के तहत पंजीकृत किया गया था। लेकिन सहकारी साख समिति अधिनियम, 1904 के अधिनियमन ने सहकारिता को एक निश्चित संरचना और आकार प्रदान किया। वर्ष 1919 में, सहकारिता एक प्रांतीय विषय बन गया और भारत शासन अधिनियम, 1935 (Government of India Act, 1935) में प्रांतों का वर्गीकरण किया गया जो मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों (Montague-Chelmsford Reforms) के तहत अपने स्वयं के सहकारी कानून बनाने हेतु अधिकृत हैं।
- वर्ष 1942 में ब्रिटिश भारत सरकार ने एक से अधिक प्रांतों की सदस्यता वाली सहकारी समितियों को कवर करने हेतु बहु-इकाई सहकारी समिति अधिनियम बनाया।
- स्वतंत्रता प्रति के बाद सहकारिता पंचवर्षीय योजनाओं का एक अभिन्न अंग बन गई। वर्ष 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद (NDC) ने सहकारी कर्मियों के प्रशिक्षण एवं सहकारी विपणन समितियों की स्थापना के लिये सहकारिता पर एक राष्ट्रीय नीति की सिफारिश की थी। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम, 1962 के तहत 'राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम' (NCDC) के रूप में एक सांविधिक निकाय की स्थापना की गई। वर्ष 1984 में भारत की संसद द्वारा एक ही प्रकार के समाज को शासित करने वाले विभिन्न कानूनों को समाप्त करने हेतु बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम को लागू किया गया। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2002 में सहकारिता पर एक राष्ट्रीय नीति की घोषणा की गई।

2. नितिन गडकरी बने खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एंबेसेडर

- 06 जुलाई, 2021 को सड़क परिवहन और राजमार्ग तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्री नितिन गडकरी ने गाय के गोबर से बने भारत के पहले और एकमात्र पेंट 'खादी प्राकृतिक पेंट' की जयपुर स्थित नई स्वचालित विनिर्माण इकाई का वर्चुअल उद्घाटन किया है। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को 'खादी प्राकृतिक पेंट' का 'ब्रांड एंबेसेडर' भी घोषित किया गया है। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) द्वारा विकसित 'खादी प्राकृतिक पेंट' को जनवरी, 2021 में लॉन्च किया गया था। पर्यावरण के अनुकूल और गैर-विषैले रंगों से निर्मित 'खादी प्राकृतिक पेंट' में एंटी-फंगल एवं एंटी-बैक्टीरियल गुण मौजूद हैं।
- गाय के गोबर पर आधारित यह पेंट लागत प्रभावी और गंधहीन है तथा यह भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) द्वारा भी प्रमाणित है। खादी प्राकृतिक पेंट दो रूपों में उपलब्ध है - डिस्टेंपर पेंट और प्लास्टिक इमल्शन पेंट। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) का यह पेंट भारी धातुओं जैसे- सीसा, पारा, क्रोमियम, आर्सेनिक, कैडमियम आदि से मुक्त है।
- 'खादी प्राकृतिक पेंट' स्थानीय स्तर पर विनिर्माण को बढ़ावा देगा और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के माध्यम से स्थायी स्थानीय रोज़गार का सृजन करेगा। एक अनुमान के अनुसार, इस नए पेंट के माध्यम से किसानों/गौशालाओं को प्रति पशु प्रतिवर्ष लगभग 30,000 रुपए की अतिरिक्त आय प्राप्त हो सकेगी।

3. बॉलीवुड के ट्रेजेडी किंग के रूप में प्रसिद्ध अभिनेता दिलीप कुमार का हुआ निधन

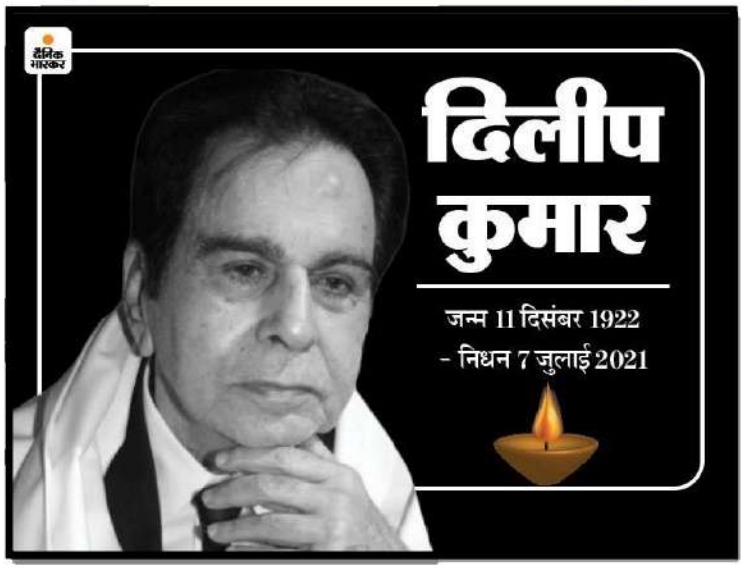

- 07 जुलाई, 2021 को बॉलीवुड के ट्रेजेडी किंग के रूप में प्रसिद्ध मशहूर अभिनेता दिलीप कुमार का 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। दिलीप कुमार को भारतीय सिनेमा के सबसे महानतम अभिनेताओं में से एक माना जाता है। 11 दिसंबर, 1922 को पेशावर के 'किस्सा खवानी बाज़ार' क्षेत्र (वर्तमान पाकिस्तान) में जन्मे दिलीप कुमार ने अपने फिल्मी कॅरियर की

शुरुआत वर्ष 1944 में 'ज्वार भाटा' फिल्म के साथ की थी।

- भारत के सबसे महान अभिनेताओं में से एक के रूप में प्रसिद्ध दिलीप कुमार का फिल्मी कॅरियर लगभग पाँच दशकों तक विस्तृत रहा। उनकी सबसे प्रसिद्ध फिल्मों में देवदास, मुग़ल-ए-आज़म, गंगा जमुना, राम और श्याम, नया दौर, मधुमती, क्रांति, विधाता, शक्ति और मशाल आदि शामिल हैं।
- दिलीप कुमार को भारतीय अभिनेता में सबसे अधिक पुरस्कार जीतने हेतु गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सूचीबद्ध किया गया है। उन्हें भारत के प्रथम 'मेथड एक्टर' का भी श्रेय दिया जाता है। दिलीप कुमार को वर्ष 1994 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार और वर्ष 1991 में पद्म श्री, वर्ष 2015 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था।
- आंध्र प्रदेश सरकार ने कुमार को 1997 में एनटीआर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। पाकिस्तान सरकार ने दिलीप कुमार को वर्ष 1998 में पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार निशान-ए-इम्तियाज से सम्मानित किया। दिलीप कुमार की अंतिम फिल्म वर्ष 1998 में रिलीज़ हुई थी।

4. महाराष्ट्र के नवेगांव नागझिरा बाघ अभयारण्य में देखा गया दुर्लभ काला तेंदुआ

- हाल ही में महाराष्ट्र के नवेगांव-नागझिरा टाइगर रिज़र्व (NNTR) में बाघों की गणना के दौरान कैमरे में एक दुर्लभ मेलानिस्टिक तेंदुआ देखा गया है। आमतौर पर सामान्य भाषा में इसे ब्लैक पैंथर (Black Panther) के रूप में जाना जाता है। वन विभाग के अधिकारियों ने 05 जुलाई, 2021 को यह जानकारी दी है।

मेलानिस्टिक तेंदुआ/ब्लैक पैंथर

- तेंदुआ या तो हल्के रंग का होता है (हल्के पीले से गहरे सुनहरे या पीले रंग के) या इसके शरीर पर काले रंग के गुच्छे में फर/बाल पाए जाते हैं। मेलानिस्टिक तेंदुआ का रंग या तो पूरी तरह से काला होता है या फिर यह बहुत गहरे रंग का होता है जो ब्लैक पैंथर के रूप में जाने जाता है। यह धब्बेदार भारतीय तेंदुओं का रंग रूप है, जो दक्षिण भारत के घने जंगलों में पाया जाता है।
- तेंदुओं के काले रंग के आवरण का कारण अप्रभावी एलील (Recessive Alleles) और जगुआर के एक प्रभावी एलील की उपस्थिति का होना है। प्रत्येक प्रजाति में एलील्स का एक निश्चित संयोजन जानवर के फर और त्वचा में

बड़ी मात्रा में काले वर्णक मेलेनिन (मेलानिज्म) के उत्पादन को उत्तेजित करता है।

- काले आवरण की उपस्थिति अन्य कारकों से प्रभावित हो सकती है, जैसे कि आपतित प्रकाश का कोण और जानवर का जीवन का स्तर। यह एक सामान्य तेंदुए की तरह शर्मीला होता है और इसको खोजना भी मुश्किल होता है। वे मुख्य रूप से दक्षिण-पश्चिमी चीन, बर्मा, नेपाल, दक्षिणी भारत, इंडोनेशिया और मलेशिया के दक्षिणी भाग में पाए जाते हैं। भारत में यह कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र आदि राज्यों में पाया जाता है।

❑ **नवेगाँव-नागझिरा टाइगर रिज़र्व**

- यह महाराष्ट्र के गोंदिया और भंडारा ज़िलों में स्थित है। रणनीतिक रूप से यह टाइगर रिज़र्व, केंद्रीय भारतीय बाघ परिदृश्य के केंद्र में स्थित है जहाँ देश की कुल बाघ आबादी का लगभग 1/6 भाग पाया जाता है। इसे दिसंबर, 2013 में भारत के 46वें टाइगर रिज़र्व के रूप में अधिसूचित किया गया था। इसमें नवेगाँव राष्ट्रीय उद्यान, नवेगांव वन्यजीव अभयारण्य, नागझिरा वन्यजीव अभयारण्य,नवीन नागझिरा वन्यजीव अभयारण्य और कोका वन्यजीव अभयारण्य के अधिसूचित क्षेत्र शामिल हैं।
- यहाँ प्रमुख रूप से 'दक्षिणी उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन' (Southern Tropical Dry Deciduous Forest) पाए जाते हैं। इस रिज़र्व में कुछ काँटेदार पौधे भी पाए जाते हैं और यहाँ बाँस बहुतायत में होता है। यहाँ तेंदुए जैसे बड़े मांसाहारी और जंगली कुत्ते, भेड़िया, गीदड़, जंगल बिल्ली तथा 'स्लॉथ बीयर' जैसे छोटे माँसाहारी जानवर पाए जाते हैं। महत्त्वपूर्ण शाकाहारी जंतुओ में चीतल, सांभर, नीलगाय, चौसिंगा, कांकड़/बार्किंग डियर, जंगली सुअर और भारतीय गौर शामिल हैं। यहाँ माउस डीयर को भी देखा गया है। यहाँ पक्षियों की 300 से अधिक प्रजातियाँ पाई जाती हैं।

❑ **महाराष्ट्र में अन्य संरक्षित क्षेत्र**

- सह्याद्री टाइगर रिज़र्व,मेलघाट टाइगर रिज़र्व, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अभयारण्य, कर्नाला पक्षी अभयारण्य, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान।

5. केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मछुआरों के लिए मत्स्य सेतु एप किया लॉन्च

- 06 जुलाई, 2021 को केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री, गिरिराज सिंह ने मछुआरों के लिए ऑनलाइन कोर्स मोबाइल एप मत्स्य सेतु (Matsya Setu) लॉन्च किया है।

❑ **मत्स्य सेतु एप**

- मत्स्य सेतु एप को ICAR-Central Institute of Freshwater Aquaculture (ICAR-CIFA), भुवनेश्वर द्वारा विकसित किया गया है। राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड (National Fisheries Development Board-NFDB), हैदराबाद द्वारा इसके लिए वित्तीय सहायता प्रदान की

गई। इस एप में प्रजाति-वार या विषय-वार स्व-शिक्षण ऑनलाइन कोर्स मॉड्यूल शामिल हैं। इस एप पर प्रसिद्ध जलीय कृषि विशेषज्ञ प्रजनन, बीज उत्पादन और व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण मछलियों जैसे कार्प, म्यूरल, कैटफ़िश, स्कैंपी, सजावटी मछली और मोती की खेती के बारे में बुनियादी अवधारणाओं और व्यावहारिक प्रदर्शनों की व्याख्या करेंगे।

❑ **भारत में मत्स्य पालन का महत्व**

- भारत दुनिया भर में जलीय कृषि (aquaculture) के माध्यम से मछली का दूसरा प्रमुख उत्पादक है। यह दुनिया भर में मछली का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक भी है क्योंकि यह वैश्विक मछली उत्पादन में 7.7% का योगदान देता है। 2017-18 तक मछली निर्यात भारत के कुल निर्यात का 10% और कृषि निर्यात का लगभग 20% है। मत्स्य पालन और जलीय कृषि उत्पादन भारत के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 1% और कृषि सकल घरेलू उत्पाद में 5% का योगदान देता है। यह क्षेत्र ने भारत में 28 मिलियन लोगों को रोजगार प्रदान करता है।

6. भारत ने क्रोएशिया में आयोजित ISSF शूटिंग विश्व कप 2021 में जीते 4 पदक

- 22 जून से 3 जुलाई, 2021 तक क्रोएशिया के ओसिजेक में आयोजित आईएसएसएफ विश्व कप 2021 राइफल/पिस्टल/शॉटगन में चार पदक (एक स्वर्ण, एक रजत और दो कांस्य) हासिल कर 10वें स्थान पर रहा है। पदक तालिका में रूस 18 पदक (7 स्वर्ण, 8 कांस्य और 3 रजत) जीतकर शीर्ष स्थान पर रहा है, वहीं दूसरे स्थान पर रहे इटली ने 10 पदक (6 स्वर्ण, 2 कांस्य और 2 रजत) तथा तीसरे स्थान पर रहे जर्मनी ने 10 पदक (2 स्वर्ण, 3 कांस्य और 5 रजत) पदक जीते है।
- यह 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक आयोजित होने वाले टोक्यो ओलंपिक 2020 से पहले आयोजित होने वाला अंतिम ISSF (इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन) विश्व कप था।

❑ **भारत के पदक विजेता**

1. राही सरनोबत- स्वर्ण पदक (महिलाओं की 25m पिस्टल)
2. सौरभ चौधरी- कांस्य पदक (पुरुषों की 10m एयर पिस्टल)

3. मनु भाकर और सौरय चौधरी- रजत पदक (मिश्रित टीम-10m एयर पिस्टल)
4. मनु भाकर, राही सरनोबत और यशस्वी देसवाल- कांस्य पदक (महिला टीम इवेंट 10m एयर पिस्टल)

7. सुधांशु मित्तल दुबारा चुने गए भारतीय खो खो महासंघ के अध्यक्ष

- 05 जुलाई, 2021 को भारतीय ओलिंपिक संघ के उपाध्यक्ष सुधांशु मित्तल एक बार फिर भारतीय खो खो महासंघ के अध्यक्ष चुने गए हैं। भारतीय खो खो महासंघ (KKFI) की वार्षिक आम बैठक (AGM) में 05 जुलाई, 2021 को आयोजित की गई जिसमें ये फैसला लिया गया। न्यायमूर्ति राजेश टंडन, पूर्व न्यायाधीश, उत्तराखंड उच्च न्यायालय (नैनीताल) ने रिटर्निंग ऑफिसर होने के नाते चुनाव परिणामों की घोषणा की।
- मित्तल के अलावा महेंद्र सिंह त्यागी को फिर से महासचिव और सुरंद्र भूटियानी को कोषाध्यक्ष चुना गया। KKFI के अध्यक्ष और महासचिव ने सभी प्रतिनिधियों का आभार व्यक्त करते हुए, भारत के स्वदेशी खेल खो-खो के विकास और प्रचार के लिए सभी इकाइयों को न केवल देश में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया।
- मित्तल ने खो-खो के खेल को एशियाई खेलों के साथ-साथ ओलिंपिक में शामिल करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न खो-खो कोचिंग कैंप, प्रतियोगिताएं और सेमिनार आदि आयोजित करने के अपने दृष्टिकोण के बारे में भी सदन को बताया।

खो-खो

- खो-खो भारत के सबसे लोकप्रिय पारंपरिक खेलों में से एक है और यह देश में काफी खेला जाता है। खो-खो का खेल प्रतिभागियों की शारीरिक फिटनेस, शक्ति, गति और सहनशक्ति का एक विशाल परीक्षण है और इसमें प्रतिभागियों की ओर से एक निश्चित मात्रा में क्षमता की भी आवश्यकता होती है। यद्यपि खो-खो की शुरुआत और खेल की उत्पत्ति के बारे में सटीक समय के बारे में भ्रम है।
- यह एक टीम द्वारा खेला जाता है जिसमें 12 खिलाड़ी शामिल होते हैं, जहां केवल 9 खिलाड़ी ही मैदान में उतरते हैं। खो-खो में, प्रतिभागियों को खेल को जीतने के लिए अपने विरोधियों का पीछा करने और पकड़ने की जरूरत है। खो-खो एक सरल खेल है। खो-खो के खेल में भाग लेने वालों का मुख्य उद्देश्य प्रतिद्वंद्वी को केवल दौड़ने के बजाय पीछा करना और पीछा करना है।

खो-खो के नियम

- 20 वीं शताब्दी की शुरुआत में खो खो के लिए नियम बनाए गए थे। 1914 में जिमखाना पुणे में नियमों को तैयार करने के लिए एक समिति का

गठन किया गया था और खो-खो पर पहले नियम 1924 में जिमखाना बड़ौदा (अब वडोदरा) से प्रकाशित किए गए थे। खो-खो के नियमों और विनियमों के अनुसार, भाग लेने वाली टीमों में से प्रत्येक 12 खिलाड़ी शामिल हैं, हालांकि केवल नौ खिलाड़ी प्रतियोगिता के लिए मैदान में उतरते हैं।

- एक मैच में दो पारियां होती हैं और एक पारी में प्रत्येक 7 मिनट के लिए पीछा करना और दौड़ना शामिल होता है। पीछा करने वाली टीम का एक खिलाड़ी एक सक्रिय चेज़र की भूमिका निभाता है और टीम के शेष 8 सदस्य केंद्रीय लेन पर अपने 8 वर्गों में बैठते हैं, वैकल्पिक रूप से विपरीत दिशा का सामना करते हैं। सक्रिय चेज़र या तो पदों पर खड़ा है और पीछा शुरू करने के लिए तैयार हो जाता है।
- पीछा करने वाली टीम के सदस्यों के लिए यह अनिवार्य है कि वे अपने प्रतिद्वंद्वी को अपनी हथेलियों से छूकर और बिना फाउल किए हुए आउट कर दें। डिफेंडर वास्तव में खो-खो के खेल में मुख्य सक्रिय खिलाड़ी हैं, क्योंकि वे 7 मिनट का समय खेलने की कोशिश करते हैं और चेज़र उन्हें आउट करने की कोशिश करते रहते हैं। खो-खो में, 3 तरीके हैं जिनके माध्यम से एक रक्षक को खारिज किया जा सकता है:
- अगर एक सक्रिय चेज़र उसे बिना किसी उकसावे के अपनी हथेली से छूता है, यदि डिफेंडर अपने दम पर सीमा से बाहर चला जाता है, या यदि डिफेंडर देर से सीमा में प्रवेश करता है।
- प्रत्येक पारी के अंत में 5 मिनट का अंतराल होता है और घुमावों के बीच 2 मिनट का ब्रेक भी होता है। प्रत्येक पक्ष पीछा करने और रक्षा करने के बीच अपनी स्थिति को वैकल्पिक करता है। खो-खो के खेल में प्रतिभागियों के लिए कोई रोक नहीं है और सभी उम्र के लोग खेल में भाग ले सकते हैं। खेल पुरुषों, महिलाओं, और सभी उम्र के बच्चों द्वारा खेला जा सकता है और खो-खो को खेलने के लिए बहुत सारे उपकरणों की आवश्यकता नहीं होती है।
- खेल के लिए समय सीमा 37 मिनट से अधिक नहीं है। 1959-60 में आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में पहली राष्ट्रीय खो-खो चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। भारत सरकार ने खेल के लिए कई सम्मानजनक पुरस्कार जैसे अर्जुन पुरस्कार, पुरुषों के लिए एकलव्य पुरस्कार, महिलाओं के लिए लक्ष्मी बाई पुरस्कार, 18 वर्ष से कम उम्र के लड़कों के लिए वीर अभिमन्यु पुरस्कार और 16 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों के लिए जानकी पुरस्कार भी शुरू किया है।

खो-खो का खेल मैदान

- खो-खो के खेल के लिए एक आयताकार खेल के मैदान की आवश्यकता होती है जो समान रूप से सामने आता है, जिसमें 29 मी 16 मी के आयाम होते हैं। अंत में 2 आयताकार होते हैं जिसमें 2 लकड़ी के खंभे होते हैं। केंद्रीय लेन 907.50 सेंटीमीटर लंबी और छोटे चौकों पर 8 क्रॉस वाली गलियां हैं जो 500 सेमी लंबी और 70 सेमी चौड़ी हैं। केंद्रीय लेन के अंत में 2 पद हैं, जो 30-40 सेमी की परिधि के साथ जमीन की सतह से 120 सेमी ऊपर उठते हैं।

खो-खो टूर्नामेंट

- खो-खो के कई घरेलू टूर्नामेंट हैं जो भारत में आयोजित किए जाते हैं और टूर्नामेंट में राष्ट्रीय चैंपियनशिप, जूनियर नेशनल, सब जूनियर नेशनल चैम्पियनशिप, स्कूल चैम्पियनशिप, मिनी स्कूल चैम्पियनशिप, प्राथमिक मिनी स्कूल

चैम्पियनशिप, राष्ट्रीय महिला चैम्पियनशिप, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी चैम्पियनशिप और फेडरेशन कप आदि शामिल हैं। खो-खो फेडरेशन ऑफ इंडिया (K.K.F.I) भारत में खेल का प्राथमिक शासी निकाय है और सभी राज्यों में इसकी शाखाएँ हैं।

8. दिल्ली मेट्रो ने शुरू की भारत की पहली UPI आधारित कैशलेस पार्किंग

- 06 जुलाई, 2021 को दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) ने भारत का पहली FASTag या यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) आधारित पार्किंग सुविधा शुरू की है। प्रवेश और भुगतान के लिए समय कम करने के लिए यह सुविधा शुरू की गई है। मल्टी-मॉडल इंटीग्रेशन (MMI) पहल के तहत स्टेशन पर ऑटो, टैक्सी और रिक्शा के लिए समर्पित इंटरमीडिएट पब्लिक ट्रांसपोर्ट (IPT) लेन का भी उद्घाटन किया गया। DMRC दिल्ली-एनसीआर में अन्य पार्किंग सुविधाओं पर भी इसी तरह की प्रणाली स्थापित करने की योजना बना रहा है।
- यह सुविधा कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पर DMRC के प्रबंध निदेशक डॉ. मंगू सिंह द्वारा शुरू की गई थी। इसमें 55 चौपहिया और 174 दोपहिया वाहन पार्क किये जा सकते हैं। 4-व्हीलर्स की एंट्री और एग्जिट पेमेंट फास्टैग के जरिए की जा सकती है।FASTag के माध्यम से पार्किंग की कटौती की जाएगी जिससे प्रवेश और भुगतान के लिए समय कम हो जाएगा।
- यह सुविधा केवल FASTag वाले वाहनों को पार्क करने की अनुमति देगी। DMRC स्मार्ट कार्ड स्वाइप कर ही दोपहिया वाहनों की एंट्री की जा सकेगी। स्मार्ट कार्ड स्वाइप का उपयोग केवल प्रवेश और निकास के समय को दर्ज करने और किराए की गणना के लिए किया जाएगा। स्वाइप करते समय कार्ड से पैसे नहीं कटेंगे। क्यूआर कोड को स्कैन करके यूपीआई एप्प के जरिए पार्किंग शुल्क का भुगतान किया जा सकता है।

पृष्ठभूमि

- कैशलेस पार्किंग परियोजना सरकार की 'डिजिटल इंडिया' पहल के तहत एक बड़ा कदम है। इंटरमीडिएट पब्लिक ट्रांसपोर्ट (Intermediate Public Transport – IPT) लेन
- ऑटो, टैक्सी और ई-रिक्शा के लिए इंटरमीडिएट सार्वजनिक परिवहन लेन का भी उद्घाटन किया गया ताकि वाहनों की सुचारू आवाजाही और कश्मीरी गेट स्टेशन की अंतिम मील कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा सके। यह पहल स्टेशन पर शुरू की गई मल्टी-मॉडल इंटीग्रेशन (MMI) परियोजना का एक हिस्सा है।

मल्टी-मॉडल इंटीग्रेशन (MMI) परियोजना

- MMI परियोजना का दूसरा चरण निर्माणाधीन है जिसके तहत फूड कोर्ट भी होगा। इसकी स्थापना DTIDC द्वारा की जाएगी। DMRC द्वारा एक बस-टर्मिनल भी बनाया जाएगा। दूसरे चरण के पूरा होने के बाद, पार्किंग सुविधा, सिटी बस सेवा और टैक्सी, आईएसबीटी कश्मीरी गेट, ऑटो, ई-रिक्शा सेवाओं के साथ मेट्रो कनेक्टिविटी को एकीकृत करके कश्मीरी गेट एक परिवहन केंद्र बन जाएगा।

9. मलेशिया में शुरू हुआ वाइट फ्लैग कैंपेन

- मलेशिया में इन दिनों बहुत से घरों के बाहर सफेद झंडा लहराता दिख रहा है। ये उस देश का झंडा नहीं, बल्कि एक खास मकसद से फहराया जा रहा है। दरअसल कोरोना के कारण देश में हालात काफी बुरे हैं और सख्त लॉकडाउन लगा हुआ है। ऐसे में रोजगार बंद होने के कारण लोगों के घरों में खाने-पीने का सामान तक नहीं। यही लोग अपने घर के बाहर सफेद झंडा फहरा देते हैं। ये एक तरह से मदद की मांग है। इसे वाइट फ्लैग कैंपेन (White Flag Campaign) भी कहा जा रहा है।
- 06 जुलाई को यहां 7 हजार से ज्यादा मामले मिले, जो बीते महीनेभर में सबसे ज्यादा है। राजधानी कुआलालंपुर में 15 सौ से ज्यादा मामले दिखे। ताजा संक्रमणों की बड़ी संख्या और बढ़ती मौतों के कारण घबराई हुई सरकार ने देश में सख्त लॉकडाउन लगा दिया। ये तो हुए मलेशिया में कोरोना संक्रमण के हालात लेकिन इसका सफेद झंडे से बड़ा कनेक्शन है।

सफेद झंडे का कोरोना कनेक्शन

- पिछले सप्ताह इसकी शुरुआत हुई। इसके तहत कहा गया कि जो लोग खाने की तंगी या फिर किसी स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहे हों, वे अपने घर के बाहर सफेद झंडा लगाएं। ये झंडा कोई भी सफेद कपड़ा भी हो सकता है। इसे देखते ही आसपास के लोगों से लेकर सोशल संस्थाएं सतर्क हो जाएंगी और मदद लेकर उस घर तक पहुंचेगी। चूंकि लॉकडाउन में अत्यावश्यक कामों को छोड़कर बाहर निकलना मना है, लिहाजा ये मदद काफी काम की साबित हो रही है।

इसके अलावा एक SOS एप भी बना

- इस एप के जरिए मलेशिया में उन फूड बैंकों का पता लग सकता है जो मुफ्त में पौष्टिक खाना पहुंचाते हैं। केवल सामाजिक संस्थाएं ही नहीं, बल्कि मलेशिया में पेनेंग प्रांत के मछुआरे भी लोगों की मदद को आए। वे ताजा मछलियां जरूरतमदं लोगों तक पहुंचा रहे हैं ताकि पोषण मिलता रहे। लेकिन ये सारी मदद उनको ही मिलती है, जो अपने घर के बाहर सफेद झंडा लहराएं। ऐसे में जिस किसी को भी परेशानी आ रही है, वह अपने घर के बाहर सफेद रंग का झंडा लहरा रहा है।

सफेद झंडा ही क्यों?

- इसके पीछे इस रंग का इतिहास है। आज तक सफेद रंग शांति और युद्ध-विराम की तरह उपयोग होता रहा। अगर कोई सफेद झंडा फहराए तो इसका मतलब है कि उस पर आक्रमण नहीं करना है, बल्कि शांति से उसकी बात सुननी है। मलेशिया में सफेद झंडा लोग अपनी जरूरत को दिखाने के लिए अपना रहे हैं।

- **मलेशिया में काला झंडा भी लहराया जा रहा है**

- ये एक अभियान का रूप ले चुका, जिसमें लोग सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा जता रहे हैं। वे मौजूदा प्रधानमंत्री मोहिउद्दीन यासीन को सत्ता छोड़ने को कह रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने न्यू स्ट्रेट टाइम्स के हवाले से बताया कि पुलिस अब पड़ताल कर रही है कि कहीं काला झंडा लहराकर किसी दंगे की योजना तो नहीं बनाई जा रही। काले झंडे के अलावा पुलिस को सफेद झंडा लहराते लोगों पर भी शक है। बोर्नियो पोस्ट नाम की वेबसाइट ने बताया कि कैसे मदद के लिए सफेद झंडा लहराते लोग अब अपनी छतों से झंडा उतार रहे हैं ताकि पुलिस उन पर कोई कार्रवाई न करे।

- **इनके अलावा रेड फ्लैग मूवमेंट भी चल रहा है**

- ये भी सफेद झंडे जैसे ही काम करता है, यानी खाने-पीने की कमी से जूझ रहे लोगों की मदद करने का। लेकिन यहां फर्क ये है कि लाल झंडा लहराने और मदद मांगने की इजाजत केवल मलेशियाई लोगों को है। बाहर से आकर बसे लोग लाल झंडा नहीं फहरा सकते, बल्कि मदद के लिए उन्हें सफेद ही झंडा लहराना होगा। वैसे लाल झंडा पालतू जानवरों की मदद के मकसद से शुरू हुआ। मलेशियाई एनिमल एसोसिएशन इसके तहत उन परिवारों की सहायता कर रहा है, जो कोरोना के कारण आई पैसों की तंगी के चलते अपने जानवरों को खिला-पिला नहीं पा रहा।

10. मोदी सरकार के मंत्रिपरिषद का मेगा विस्तार, 43 मंत्रियों ने ली शपथ, 15 को कैबिनेट

- 07 जुलाई, 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिपरिषद का विस्तार हुआ है। कुल 43 लोगों को शपथ दिलाई गई। इनमें 15 नेताओं ने कैबिनेट मंत्री और 28 राज्य मंत्री पद की शपथ ली है। कई नए चेहरों को मंत्रिपरिषद में जिम्मेदारी सौंपी गई है।
- राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में रामनाथ कोविंद से सबसे पहले शपथ लेने वालों में असम के पूर्व मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल, नारायण राणे, डॉ. वीरेंद्र कुमार, ज्योतिरादित्य सिंधिया, सांसद वीरेंद्र कुमार, भूपेंद्र यादव, मंसुख मंडाविया, पशुपति कुमार पारस, सांसद राजीव चंद्रशेखर और शोभा करंदलाजे, पंकज चौधरी, अनुप्रिया पटेल, एसपीएस बघेल शामिल हैं।

- शपथ लेने वाले 43 मंत्रियों में 30 लोकसभा और 11 राज्यसभा के सदस्य हैं। इसके साथ ही, असम के पूर्व मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल और भाजपा की तमिलनाडु इकाई के अध्यक्ष एल मुरुगन दो ऐसे मंत्री हैं जो फिलहाल संसद के किसी सदन के सदस्य नहीं हैं। सोनोवाल फिलहाल असम विधानसभा सदस्य हैं। गृह राज्य मंत्री जी. किशन रेड्डी और वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, किरण रिजिजू, हरदीप पुरी समेत कई मंत्रियों को कैबिनेट मंत्री के रूप में पदोन्नति की गई है। मंत्रिपरिषद ने सात और महिला को सम्मिलित किया है। इसके साथ ही नरेंद्र मोदी सरकार में महिला मंत्रियों की संख्या बढ़कर 11 हो गई।

- **इन 43 नेताओं को मिली मंत्रिमंडल में जगह**

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में 43 नेताओं को शामिल किया गया है। इनके नाम हैं, नारायण राणे, सर्बानंद सोनोवाल, डॉ. वीरेंद्र कुमार, ज्योतिरादित्य सिंधिया, रामचंद्र प्रसाद सिंह, अश्विनी वैष्णव, पशुपति कुमार पारस, किरेन रिजिजू, राजकुमार सिंह, हरदीप सिंह पुरी, मनसुख मंडाविया, भूपेंदर यादव, परषोत्तम रुपाला, जी किशन रेड्डी, अनुराग सिंह ठाकुर, पंकज चौधरी, अनुप्रिया सिंह पटेल, सत्यपाल सिंह बघेल, राजीव चंद्रशेखर, शोभा करंदलाजे, भानु प्रताप सिंह वर्मा, दर्शना विक्रम जरदोश, मीनाक्षी लेखी, अन्नपूर्णा देवी, ए नारायणस्वामी, कौशल किशोर, अजय भट्ट, बीएल वर्मा, अजय कुमार, चौहान देवसिंह, भगवंत खुबा, कपिल मोरेश्वर पाटिल, प्रतिमा भौमिक, सुभाष सरकार, भागवत किशनराव कराड, राजकुमार रंजन सिंह, भारती प्रवीण पवार, बिश्वेश्वर तुडु, शांतनु ठाकुर, मुंजपारा महेंद्रभाई, जॉन बरला, डॉ. एल मुरुगन, नीशीथ प्रमाणिक।

- **कैबिनेट फेरबदल से पहले इस्तीफा देने वाले मंत्री**

1. श्री डी.वी. सदानंद गौड़ा- रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
2. श्री रविशंकर प्रसाद- कानून एवं न्याय मंत्रालय, संचार मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
3. श्री थावरचंद गहलोत- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
4. श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक'- शिक्षा मंत्रालय
5. डॉ. हर्ष वर्धन- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भू-विज्ञान मंत्रालय
6. श्री प्रकाश जावडेकर- पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, सूचना व प्रसारण मंत्रालय, भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय
7. श्री संतोष कुमार गंगवार- श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (राज्य मंत्री)
8. श्री बाबुल सुप्रियो- पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (राज्य मंत्री)
9. श्री धोत्रे संजय शामराव- शिक्षा मंत्रालय (राज्य मंत्री)
10. श्री रतन लाल कटारिया- जल शक्ति मंत्रालय (राज्य मंत्री)
11. श्री प्रताप चन्द्र सारंगी- सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (राज्य मंत्री)
12. सुश्री देबाश्री चौधरी- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (राज्य मंत्री)

- **संवैधानिक प्रावधान**

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सहायता एवं परामर्श और सलाह देने के

लिए मंत्रिपरिषद के गठन का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 75 -1(A) के तहत मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। यह प्रावधान 91वें संविधान संशोधन 2003 के तहत किया गया है। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत धारण करते हैं। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं।

- **कैबिनेट मंत्री (New Cabinet ministers)**

1. राजनाथ सिंह - रक्षा मंत्री
2. अमित शाह - गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री
3. नितिन जयराम गडकरी - सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री
4. निर्मला सीतारमण - वित्त मंत्री और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री
5. नरेंद्र सिंह तोमर - कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री
6. डॉ. सुब्रह्मण्यम जयशंकर - विदेश मंत्री
7. अर्जुन मुंडा - जनजातीय मामलों के मंत्री
8. स्मृति जुबिन ईरानी - महिला एवं बाल विकास मंत्री
9. पीयूष गोयल - वाणिज्य और उद्योग मंत्री, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री और कपड़ा मंत्री
10. धर्मेंद्र प्रधान - शिक्षा मंत्री, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री
11. प्रल्हाद जोशी - संसदीय कार्य मंत्री, कोयला मंत्री, और खान मंत्री
12. नारायण तातू राणे - सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री
13. सर्बानंद सोनोवाल - बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री, आयुष मंत्री
14. मुख्तार अब्बास नकवी - अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री
15. वीरेंद्र कुमार - सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री
16. गिरिराज सिंह - ग्रामीण विकास मंत्री, और पंचायती राज मंत्री
17. ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया - नागरिक उड्डयन मंत्री
18. रामचंद्र प्रसाद सिंह - इस्पात मंत्री
19. अश्विनी वैष्णव - रेल मंत्री, संचार मंत्री, और इलेक्ट्रॉनिक्स-सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
20. पशुपति कुमार पारस - खाद्य प्रसंस्करण, उद्योग मंत्री
21. गजेन्द्र सिंह शेखावत - जल शक्ति मंत्री
22. किरण रिजिजू - कानून और न्याय मंत्री
23. राज कुमार सिंह - विद्युत मंत्री, और ऊर्जा मंत्री
24. हरदीप सिंह पुरी - पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री, और आवास और शहरी मामलों के मंत्री
25. मनसुख मंडाविया - स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, और रसायन और उर्वरक मंत्री
26. भूपेंद्र यादव - पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री, और श्रम और रोजगार मंत्री
27. महेंद्र नाथ पाण्डेय - भारी उद्योग मंत्री
28. पुरुषोत्तम रूपाला - मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री
29. जी. किशन रेड्डी - संस्कृति मंत्री, पर्यटन मंत्री, और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री
30. अनुराग सिंह ठाकुर - सूचना और प्रसारण मंत्री, और युवा मामले और खेल मंत्री

SarkariExam.com

08 जुलाई 2021

- **राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (MoS Independent charge)**

1. राव इंद्रजीत सिंह - सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री
2. डॉ. जितेंद्र सिंह - विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री; तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री

- **राज्य मंत्री (MoS in Modi Cabinet)**

1. श्रीपद येसो नाइक - बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री; और पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री
2. फग्गनसिंह कुलस्ते - इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री, और ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
3. प्रहलाद सिंह पटेल - जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री, और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
4. अश्विनी कुमार चौबे - उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री, और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री
5. अर्जुन राम मेघवाल - संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री, और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री
6. जनरल (सेवानिवृत्त) वी. के. सिंह - सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री, और नागरिक उड्डयन मंत्रालय में राज्य मंत्री
7. कृष्ण पाल - विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री, और भारी उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
8. दानवे रावसाहेब दादाराव - रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री, और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री
9. रामदास अठावले - सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री
10. साध्वी निरंजन ज्योति - उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री, और ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
11. डॉ. संजीव कुमार बाल्यान - मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री
12. नित्यानंद राय - गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
13. पंकज चौधरी - वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री
14. अनुप्रिया सिंह पटेल - वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
15. एस. पी. सिंह बघेल - कानून और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री
16. राजीव चंद्रशेखर - कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय में राज्य मंत्री, और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री
17. शोभा करंदलाजे - कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
18. भानु प्रताप सिंह वर्मा - सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री
19. दर्शन विक्रम जरदोश - कपड़ा मंत्रालय में राज्य मंत्री, और रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री
20. वी. मुरलीधरन - विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री, और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
21. मीनाक्षी लेखी - विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री, और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री

SarkariExam.com